सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **05/2018** दायर दिनाँक **04.01.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गिरधारीसिंह पुत्र रणजीतसिंह, उम्र—68साल, 2. सुल्तानसिंह पुत्र भोपालसिंह, उम्र—59साल, 3. मदनसिंह पुत्र भोपालसिंह, उम्र—56साल, 4. रतनसिंह पुत्र गोपालसिंह, उम्र—50साल, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. मगनसिंह दत्तकपुत्र रामसिंह, 2. सुमेरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 3. नाहरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 4. केशरसिंह पुत्र गोपालसिंह, 5. चन्द्रकँवर पत्नी भोपालसिंह, 6. मनोहरसिंह पुत्र गोपालसिंह, 7. उम्मेदकँवर पत्नी गोपालसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **05.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 स्वर्गीय बलवन्तसिंह के वारिशान् हैं। वादग्रस्त भूमि केवल बलवन्तसिंह व रणजीतसिंह, रामसिंह, लिछमणसिंह के ही वारिशान् ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए वाद में केवल खातेदारान् को ही पक्षकार बनाया गया है।

शरहद बगतपुरा में खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 07.03 बीघा, खसरा नम्बर 336 रकबा 13.19 बीघा व खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल पेश है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा पक्षकारान् के बीच निम्नानुसार हो रखा है:–

वादी गिरधारीसिंह के बन्ट की भूमि:–

खसरा नम्बर 25 रकबा 07.03 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि रकबा 02.07 बीघा पश्चिमी हिस्सा। खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि रकबा 13.04 बीघा में से 1/3 हिस्सा रकबा 04.08 बीघा उत्तरी हिस्सा।

वादीगण गिरधारीसिंह व मदनसिंह तथा प्रतिवादीगण केशरसिंह व चन्द्रकँवर के बन्ट की भूमि:–

खसरा नम्बर 25 रकबा 07.03 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि रकबा 02.07 बीघा पूर्वी हिस्सा। खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि रकबा 13.04 बीघा में से 1/3 हिस्सा रकबा 04.08 बीघा।

वादी रतनसिंह व प्रतिवादी मनोहरसिंह व उम्मेदकँवर के बन्ट की भूमि:–

खसरा नम्बर 25 रकबा 07.03 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि रकबा 02.08 बीघा बीच का हिस्सा। खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि रकबा 13.04 बीघा में से रकबा 04.08 बीघा बीच का हिस्सा।

उक्त हिस्सा पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 काबिज हैं काबिजानुसार नजरीनक्शा वाद के साथ पेश है।

बकाया भूमि खसरा नम्बर 336 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा में से रकबा 12.07 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के संयुक्त खातेदारी में यथावत् रहेगा।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद बगतपुरा में खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 07.03 बीघा, खसरा नम्बर 336 रकबा 13.19 बीघा व खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा का विधिवत् बन्टवारा कर वाद के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसार खातेदारी घोषित की जावे। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 05/2018
दायर दिनाँक 04.01.2018, निर्णय दिनाँक 05.06.2018
गिरधारीसिंह, वगैरा बनाम् मगनसिंह, वगैरा।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्राम बगतपुरा खेवट संख्या 90/90 व 89/89 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**तोषीणा** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया।

लोक अदालत व आपसी समझाईश के कारण से वादीगण व प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र/राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् ने पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रार्थना–पत्रा में वर्णितानुसार/दावानुसार, पक्षकारान् सहमत हैं एवं दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

प्रतिवादीगण दावा स्वीकार किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पक्षकारान् दावानुसार वाद डिक्री किया जाने की इस्तदुआ पेश कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना, सही होना पाया गया।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों तथा कैम्प में पक्षकारान् द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र के परिप्रेक्ष्य में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 05 / 2018
दायर दिनाँक 04.01.2018, निर्णय दिनाँक 05.06.2018
गिरधारीसिंह, वगैरा बनाम् मगनसिंह, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा शरहद मौजा **बगतपुरा** में वाद वर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी, निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 25 रकबा 07.03 बीघा में से,** रकबा 02.07 बीघा पश्चिमी भाग का वादी संख्या 01 को व रकबा 02.08 बीघा पूर्वी भाग का वादीगण संख्या 02 व 03 को तथा प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 को और रकबा 02.08 बीघा बीच का हिस्सा का वादी संख्या 04 को तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 को, **खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

2. **खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा में से,** रकबा 04.05 बीघा का वादीगण संख्या 02 व 03 तथा प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 को व रकबा 04.05 बीघा का वादी संख्या 04 तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 को व रकबा 04.05 बीघा का वादी संख्या 01 को रकबा 06.08 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को तथा रकबा 06.08 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 को, **खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

3. **खसरा नम्बर 336 रकबा 13.19 बीघा सम्पूर्ण,** का प्रतिवादी संख्या 01 को, **खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

निर्णय, आज दिनाँक **05.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **05/2018** दायर दिनाँक **04.01.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गिरधारीसिंह पुत्र रणजीतसिंह, उम्र—68साल, 2. सुल्तानसिंह पुत्र भोपालसिंह, उम्र—59साल, 3. मदनसिंह पुत्र भोपालसिंह, उम्र—56साल, 4. रतनसिंह पुत्र गोपालसिंह, उम्र—50साल, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. मगनसिंह दत्तकपुत्र रामसिंह, 2. सुमेरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 3. नाहरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 4. केशरसिंह पुत्र गोपालसिंह, 5. चन्द्रकँवर पत्नी भोपालसिंह, 6. मनोहरसिंह पुत्र गोपालसिंह, 7. उम्मेदकँवर पत्नी गोपालसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—बगतपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— **53, 188, R.T.Act.**

दिनाँक **05.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित वादीगण** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद मौजा **बगतपुरा** में वाद वर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी, निम्नानुसार घोषित की जाती हैः—

1. **खसरा नम्बर 25 रकबा 07.03 बीघा में से,** रकबा 02.07 बीघा पश्चिमी भाग का वादी संख्या 01 को व रकबा 02.08 बीघा पूर्वी भाग का वादीगण संख्या 02 व 03 को तथा प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 को और रकबा 02.08 बीघा बीच का हिस्सा का वादी संख्या 04 को तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 को, **खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**
2. **खसरा नम्बर 338 रकबा 25.11 बीघा में से,** रकबा 04.05 बीघा का वादीगण संख्या 02 व 03 तथा प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 को व रकबा 04.05 बीघा का वादी संख्या 04 तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 को व रकबा 04.05 बीघा का वादी संख्या 01 को रकबा 06.08

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को तथा रकबा 06.08 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 को, **खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

3. **खसरा नम्बर 336 रकबा 13.19 बीघा सम्पूर्ण,** का प्रतिवादी संख्या 01 को, **खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बावत.................–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फिस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय		
फिस कमिश्नर			हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–तोषीणा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner